सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 02/2011

प्रार्थी

असकर पुत्र छोटूखॉ
जाति मुसलमान निवासी
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. इब्राहीम पुत्र छोटूखॉ
2. बाबुखॉ पुत्र छोटूखॉ
3. सदीक पुत्र छोटूखॉ
4. हसीना पुत्री छोटूखॉ
   जातियान मुसलमान
   निवासीगण भार्गवों का
   मोहल्ला बिलाड़ा, तहसील
   बिलाड़ा, जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा केम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। दोनो पक्षों के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। अतः मौजा बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 855 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 863 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 867 रकबा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 878 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 883 रकबा 18 बिस्वा भूमि के सम्बंध में वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। वाद के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या /2011 असकर बनाम इब्राहीम के साथ संलग्न की जावे। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा